संख्या– 1130 / 60–3–2015–18(सा0) / 15

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,उ0प्र0,
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 11 सितम्बर,2015

विषयः–उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेन्ट आफ प्लास्टिक सर्जरी के अन्तर्गत 25 शैयाओं की बर्न एवं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट की स्थापना किये जाने हेतु अनावर्तक अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर डा0 रविकान्त प्रोफेसर, कुलपति, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के संलग्न पत्र तथा डा0 अरूण कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी विभाग, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या–191, दिनांक 22.05.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेन्ट आफ प्लास्टिक सर्जरी के अन्तर्गत 25 शैयाओं की बर्न एवं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट की स्थापना किये जाने के लिये अनावर्तक अनुदान के रूप में रु0–745.41 लाख की धनराशि को उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में बर्न एवं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट की स्थापना होने से एसिड पीड़िताओं की रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हेतु आधुनिक एवं विकसित उपचार प्रणाली विकसित करने हेतु रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेन्ट आफ प्लास्टिक सर्जरी के अन्तर्गत बर्न एवं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट की स्थापना किये जाने के लिये अनावर्तक अनुदान के रूप में रु0–745.41 लाख (रूपये सात करोड़ पैंतालिस लाख इक्तालीस हजार मात्र) की धनराशि की निम्नलिखित शर्तों के राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त यूनिट की स्थापना के लिये आवश्यक आवर्तक अनुदान (चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों पर अनुमानित व्यय की धनराशि आदि) को किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा वहन किया जायेगा। निर्माण कार्यहेतु कार्यदायी संस्था

का निर्धारण चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा तथा उपकरणों का क्रय किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) निर्मित होने वाले यूनिट के मुख्य द्वार पर साईन बोर्ड लगाकर यह उल्लेख किया जायेगा कि इस यूनिट का निर्माण उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से किया गया है।

(4) उक्त यूनिट में एसिड अटैक पीडिताओं के लिये उपचार हेतु 05 बेड अरक्षित रखे जायेंगे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से दिनांक 31.03.2016 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

3. उपर्युक्त पर होने वाले व्यय का वहन आय–व्ययक के अनुदान संख्या–49 के 'लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–103–महिला कल्याण–10–उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष–42–अन्य व्यय' के मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1130 (1)/60–3–2015, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– कुलपति, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
6– विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी विभाग, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
7– कोष कार्यालय, चतुर्थ तल, योजना भवन, लखनऊ।
8– कम्प्यूटर सेल, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उपसचिव।

Sri Tandan/Go